# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

## पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 68 / 2023

1. विद्यादेवी पुत्री जवाहरराराम जाति जाट निवासी खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

**–: आदेश :–** **दिनांक :– 12.06.23**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम चक 8 केजेडी बी के मु0नं0 83 / 18 के किला नं0 19 ता 23 की 0.8345 है0, 83 / 19 के किला नं0 1, 2 / 2, 9 / 2, 10, 11 / 2, 20 / 2 की 1.0623 है0, मु0नं0 103 / 6 के किला नं0 1 ता 25 की 6.1960 है0 इसप्रकार तीनों मुरब्बों की कुल 8.0928 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मु0नं0 83 / 19 के किला नं0 1, 2 / 2, 9 / 2, 10, 11 / 2, 20 / 2 की 1.0623 है0 में आने जाने के प्रार्थीया मुरब्बा नं0 83 / 19 के किला नं0 2 / 1 में 1 बिस्वा व 3 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थी विद्यादेवी के नाम चक 8 केजेडी बी मु0नं0 83 / 18 किला नं0 19 / 1, 20 / 2, 21, 22, 23 / 2 की 0.8345 है0 भूमि व मु0नं0 83 / 19 की 1.0623 है0 भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा नये रास्ते के कटान हेतु दावा प्रस्तुत हुआ है। प्रार्थी के मु0नं0 83 / 18 के किला नं0 19 / 1 की 0.0885 है0 भूमि पक्की डामर सड़क से चिपता हुआ है। अतः नवीन रास्ता प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं है। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वांछित रास्ता मु0नं0 83 / 19 के लिए चाहा गया है इसलिए प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमावें जावे।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के मु0नं0 83 / 18 के किला नं0 19 / 1 की 0.0885 है0 भूमि पक्की डामर सड़क से चिपता हुआ है इसप्रकार रास्ता मौजूद है। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण अस्वीकार / खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक ............................... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)